

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

No. 2014/H-1/12/8/HVS/Policy

New Delhi, dated 19.06.2018

**The General Managers,
All Indian Railways/PUs,
DG/RDSO, Lucknow & CAO(R), Patiala.**

Sub: Scheme for engagement of "Honorary Visiting Specialists (HVS)" in Railway Hospitals regarding.

Ref: Board's letter of even number dated 19.06.2015 and letter No. 2018/Trans. Cell/Conclave/Health dated 23.03.2018.

Consolidated instructions for engagement of "Honorary Visiting Specialist" are contained in letter dated 19.06.2015 referred to above. In the light of guidelines circulated by Transformation Cell vide letter dated 23.03.2018 *ibid*, the aforesaid scheme has been reviewed in consultation with Finance Directorate of this Ministry and revised guidelines as approved by Board are circulated as under for information & guidance:-

1. Procedure for Selection

In supersession to the procedure of selection contained in Board's letter dated 19.06.2015, the revised procedure for selection of Honorary Visiting Specialists will be as under:

- 1.5 Zonal Railway (CMD) or PU (CMO) will constitute a standing committee of three doctors headed by MD/CMS incharge for undertaking selection.
- 1.6 The engagement of Honorary Visiting Specialists shall be made by inviting applications to fill up the vacancies by way of open advertisement in the leading Newspapers as well as over Indian Railways Website as is being done in the case of Contract Medical Practitioners (CMPs).
- 1.7 Screening of the papers only will be done and name of selected doctors will be forwarded, after approval of CMD to General Manager/ approval of CMO to DG/ approval of CMS to CAO with full justification. The Honorary Visiting Specialist will not be called for physically.
- 1.8 Committee will record the rationale of making a particular choice.

2. Competent Authority to approve engagement of Honorary Visiting Specialist.

- 2.1 For a person being engaged for the first time as "Honorary Visiting Specialist" approval will be given by General Manager/DG/CAO.
- 2.2 Thereafter, subsequent extensions may be given by DRM and where units do not come under DRM further extension to be sanctioned by General Manager/DG/CAO subject to adoption of a transparent method based on the performance report to be recorded at a senior level by medical department.

- The number of Honorary Visiting Specialist required may be decided by General Manager based on recommendations of CMD & PFA (RB letter no. 2018/Transformation cell/concalve/Health dated 23.03.2018)

3. Qualification and Experience:-

3.1 **Super Specialist** - minimum qualification will be Post Doctoral qualification DM/MCH or equivalent.

(Authority: Board's letter No.2010/H-1/12/Pt. dated 30.10.2013)

3.2 **Specialist** - Post-Graduate degree from a recognized University. Minimum 3 years experience in the professional work related to concerned Specialty after obtaining P.G. degree.

3.3 Where suitable candidates with PG degree are not available PG Diploma holders with 5 years experience in the professional work related to concerned Specialty after obtaining P.G. diploma.

(Authority: Board's letter No.2010/H-1/12/ dated 11.05.2012)

4. Age Profile:-

4.1 During first time engagement, the preferred age is between 30 years to 64 years.

4.2 Upper age limit of continued engagement is 65 years.

5. Tenure of working:-

5.1 Each time the offer is given, it is to be given for year only.

5.2 After expiry of one year, extension can be given as per para 2 above.

6. Number of visits/Number of Hours etc:-

6.1 Average of 2 hours every day/6 days/week.

6.2 Average of 2 hours every day/4 days/week

6.3 Average of 2 hours every day/2 days/week.

In addition they will have to come to hospital whenever called in for emergency on any day, including Sunday and off day (for 4 days & 2 days/week) and at any time of the day.

(5 to 6 – Authority: Board's letter No. 2001/H-1/12/40 dated 15.12.2005)

How to decide about who should be engaged for 6 days/4 days/2 days per week

To be decided depending upon workload in the required specialty & to be recorded by the concerned MD/CMS/CMD.

(Modified with the approval of Board {MS}).

8. Honorarium to be paid:-

Hours of Duty	Specialist	Super Specialist
2 hours a day for 6 days/week	Rs. 52000/ P.M.	Rs. 64000/ P.M.
2 hours a day for 4 days/week	Rs. 32000/ P.M.	Rs. 40000/ P.M.
2 hours a day for 2 days/week	Rs. 16000/ P.M.	Rs. 20000/ P.M.

9. Free Railway Passes:-

9.1 One set of complimentary Railway Pass valid all over Indian Railway & Konkan Railway in AC two tier including Rajdhani Express and in AC Chair Car of Shatabdi Express for self + spouse and dependent Children (as per rules applicable for Railway employees) will be made available as per the entitlement of Selection Grade officers in each calendar year.

9.2 The complementary pass can be availed after 3 months of engagement for the calendar year.

(Authority: Board's letter No.2001/H-1/12/40 dated 15.12.2005)

10. Implementation of the above scheme:-

The "Honorary Visiting Specialists" are to be engaged in the Specialty as per the local need to be decided by CMD of Zonal Railways.

(Authority: Board's letter No.2005/H-1/12/34 dated 27.06.2006-Para-8)

11. Daily Rate of deduction of remuneration:-

They are allowed to have 12 days leave every year. For any absence beyond 12 days, deductions will be made at the following rates (at the Previous rate on the increased Honorarium as at Para-8):-

Hours of Duty	Specialist	Super Specialist
2 hours a day for 6 days/week	Rs. 2167/ P.D.	Rs. 2667/ P.D.
2 hours a day for 4 days/week	Rs. 2000/ P.D.	Rs. 2500/ P.D.
2 hours a day for 2 days/week	Rs. 2000/ P.D.	Rs. 2500/ P.D.

12. Termination of contract:-

The contracts may be terminated at any time, on one month notice on either side. The Administration reserves the right not to assign any reason for such Termination.

13. Evaluation:-

The impact of the scheme is to be properly evaluated by monitoring of prescribed Parameter. The monitoring proforma is enclosed.

(11 to 13 – Authority: Board's letter No. 2001/H-1/12/40 dated 15.12.2005)

14. Financial Evaluation of the scheme:-

For the purpose of doing financial evaluation of the scheme, the following procedures are to adopted. The total number of Railway patients provided professional services by Honorary Visiting Specialists is to be multiplied with rates of services as given below. The rates of the professional services are:

(14-Authority: Board's letter No. 2005/H-1/12/34 dated 27.06.2006)

14.1 For Consultation Services

For both OPD & IPD consultation as per applicable CGHS rates for that city or of nearest city.

14.2 For Surgical operative Service:-

1. For minor surgical operation - Rs. 8,000/- per case.
2. For major surgical operation - Rs.15,000/- per case
3. For special surgical operation - Rs. 30,000/- per case
4. For tertiary level surgical operation - Rs. 50,000/- per case

(15.2 – Authority: Board's letter No. 2005/H-1/12/34 dated 27.06.2006)

With the implementation of this scheme, the Honorary Visiting Specialists will be giving consultations & performing surgeries and other advice as required. They would be performing surgeries also in the Railway Hospitals, and those cases which require referral and the condition of that patient is such that it is manageable during operation and post operative period in that Railway hospital, will not be referred to Private/Govt. Hospitals, for the specialty for which visiting specialists are available in that Railway Hospital. It is further clarified that few high risk patients will still be required to be referred to higher medical Centres.

15. About Anesthetists from Market:-

- 15.1 For such small Hospitals where number of posts of Medical Officers is 9 or below, the directions as given in Para 12.4 in the order No. 2001/H-1/12/40 dated 15.12.2005. Anesthetists are to be called in from market for Anesthesia work as per directives given in Railway Board's letter No. 2004/H/23/3/ dated 04.08.2004 & 2013/H-1/12/5 dated 13.10.2014 with slight modification that they are to be called in these hospitals without the post of Anesthetist being available in these hospitals and even if all the posts of IRMS Cadre are fully occupied- is to be followed.
 - 15.2 For other Hospitals Anesthetist from market to be called as per rules given in Railway Board's letter No. 2004/H/23/3 dated 04.08.04& 2013/H-1/12/5 dated 13.10.2014.
- (14 to 15 – Authority: Board's letter No. 2005/H-1/12/34 dated 27.06.2006)**

16. Further extension of the Scheme:-

The annual extension of the scheme stands delegated to Zonal Railways/PUs with stipulation that Annual report of extension be submitted to Health Dte./Railway Board by Zonal Railways/PUs and the expense may be charged under the head in which reimbursement/expenses of empanelled hospital bills are charged (i.e. J231) and the budget allotted in this head cannot be exceeded.

17. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

18. Hindi Version will follow.

DA: as above (para 13)

Havinda Sanhotra
(Mrs. H. K. Sanhotra)
Joint Director-II/Health
Railway Board

No. 2014/H-1/12/8/HVS/Policy

New Delhi, dated 19.06.2018

Copy is forwarded for information & necessary action to:

1. The Principal Financial Advisor, All Indian Railway/All PUs.
2. The Principal Chief Medical Directors, Chief Medical Officers, Chief Medical Supdts., All Indian Railway/All PUs.

Havinda Sanhotra
(Mrs. H. K. Sanhotra)
Joint Director-II/Health
Railway Board

No. 2014/H-1/12/8/HVS/Policy

New Delhi, dated 19.06.2018

Copy is forwarded for information & necessary action to:

1. The Principal Directors of Audit, All Indian Railway/All PUs.
2. Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No.-24, Rail Bhawan, New Delhi

J. Chaturvedi

For Financial Commissioner, Railway Board

Copy for JDF(E) & F(E) Spl., Railway Board, New Delhi.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. 2014/एच-1/12/8/एचवीएस/पॉलिसी

नई दिल्ली, दिनांक 19.06.2018

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां,

महानिदेशक/अ.अ.मा.सं., लखनऊ और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर), पटियाला.

विषय : रेलवे अस्पतालों में " ऑनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्टों" की नियुक्ति की योजना के संबंध में।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 19.06.2015 का समसंख्यक पत्र और दिनांक 23.03.2018 का पत्र सं. 2018/ट्रांस. सेल/कॉन्कलेव/हेल्थ।

"ऑनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्ट" की नियुक्ति से संबंधित समेकित अनुदेश दिनांक 19.06.2015 के उक्त संदर्भाधीन पत्र में निहित हैं। ट्रांसफॉर्मेशन सेल द्वारा दिनांक 23.03.2018 के उक्त पत्र के तहत परिपत्रित किए गए दिशा-निर्देशों के आलोक में, इस मंत्रालय के वित्त निदेशालय के परामर्श से उक्त योजना की समीक्षा की गई है और बोर्ड द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार संशोधित दिशा-निर्देश सूचना और मार्ग-दर्शन के लिए निम्नानुसार परिपत्रित किए जाते हैं:

1. चयन की प्रक्रिया:

बोर्ड के दिनांक 19.06.2015 के पत्र में निहित चयन की प्रक्रिया का अधिक्रमण करते हुए ऑनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्टों के चयन की संशोधित प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

- 1.1 चयन करने के लिए क्षेत्रीय रेलें (सीएमडी) या उत्पादन इकाइयां (सीएमओ) तीन डॉक्टरों की एक स्थायी समिति का गठन करेंगी, जिनके अध्यक्ष प्रबंध निदेशक/सीएमएस प्रभारी होंगे।
- 1.2 ऑनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्टों की नियुक्ति प्रमुख समाचारपत्रों में और भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर खुला विज्ञापन देकर रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करके की जाएगी, जैसाकि कांट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर (सीएमपी) के मामले में किया जा रहा है।
- 1.3 केवल उत्तरपत्रों की जांच होगी और चयनित डॉक्टरों के नाम मुख्य चिकित्सा निदेशक के अनुमोदन के बाद महाप्रबंधक को/मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुमोदन के बाद महानिदेशक को/मुख्य चिकित्सा पर्यवेक्षक के अनुमोदन के बाद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को पूर्ण औचित्य के साथ अग्रेषित किए जाएंगे। स्वयं ऑनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्टों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा।
- 1.4 समिति किसी विशेष व्यक्ति के चयन के औचित्य को दर्ज करेगी।

2. ऑनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्टों की नियुक्ति को अनुमोदित करने वाले सक्षम प्राधिकारी,

- 2.1 "ऑनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्ट" के रूप में पहली बार नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए अनुमोदन महाप्रबंधक/महानिदेशक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिया जाएगा।
- 2.2 तत्पश्चात्, मंडल रेल प्रबंधक द्वारा बाद में समयावधि बढ़ाई जा सकती है और जो यूनिट मंडल रेल प्रबंधक के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनकी समयावधि बढ़ाने की स्वीकृति

चिकित्सा विभाग द्वारा किसी वरिष्ठ स्तर पर दर्ज की जाने वाली निष्पादन रिपोर्ट के आधार पर एक पारदर्शी पद्धति अपनाई गई हो।

- मुख्य चिकित्सा निदेशक और प्रधान वित्त सलाहकार की अनुशंसा के आधार पर महाप्रबंधक द्वारा अपेक्षित "ऑनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्टों" की संख्या तय की जा सकती है (रेल बोर्ड का दिनांक 23.03.2018 के पत्र सं. 2018/ट्रांसफॉर्मेशन सेले/कॉन्क्लेव/हेल्थ)।

3. अर्हता और अनुभव:-

- 3.1 सुपर स्पेशलिस्ट- न्यूनतम अर्हता पोस्ट डॉक्टरल अर्हता डीएम/एमसीएच अथवा इसके समकक्ष होगी। (प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 30.10.2013 का पत्र सं. 2010/एच-1/12/पार्ट)
- 3.2 स्पेशलिस्ट- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री। स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद संबंधित स्पेशलिटी से संबंधित व्यावसायिक कार्य में कम-से-कम 3 वर्षों का अनुभव।
- 3.3 यदि स्नातकोत्तर डिग्री वाले उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद संबंधित स्पेशलिटी से संबंधित व्यावसायिक कार्य में 5 वर्ष के अनुभव वाले स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारक। (प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 11.05.2012 का पत्र सं. 2010/एच-1/12)

4. आयु विवरण:-

- 4.1 पहली बार नियुक्ति के दौरान, 30 वर्ष और 64 वर्ष के बीच की आयु वालों को तरजीह दी जाएगी।
- 4.2 लगातार नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है।

5. कार्यकाल:-

- 5.1 हर बार प्रस्ताव दिया जाता है, यह केवल एक वर्ष के लिए दिया जाता है।
- 5.2 एक वर्ष बीत जाने के बाद उपर्युक्त पैरा 2 के अनुसार कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है।

6. विजिट/घंटों आदि की संख्या:-

- 6.1 प्रतिदिन औसतन 2 घंटे/सप्ताह में 6 दिन
- 6.2 प्रतिदिन औसतन 2 घंटे/सप्ताह में 4 दिन
- 6.3 प्रतिदिन औसतन 2 घंटे/सप्ताह में 2 दिन

इसके अलावा, उन्हें रविवार और अवकाश के दिन सहित किसी भी दिन जब कभी आपातकाल में और दिन के किसी भी समय बुलाए जाने पर अस्पताल में आना होगा (सप्ताह में 4 दिन और 2 दिन के लिए)।

(5 से 6 - प्राधिकार : बोर्ड का दिनांक 15.12.2005 का पत्र सं. 2001/एच-1/12/40)

7. यह कैसे निर्णय किया जाए कि किसे सप्ताह में 6 दिन/4 दिन/2दिन के लिए नियुक्त किया जाएगा:

अपेक्षित स्पेशलिटी में कार्यभार के आधार पर निर्णय लिया जाएगा और इसे संबंधित एमडी/सीएमएस/सीएमडी द्वारा दर्ज किया जाएगा।

(बोर्ड (सदस्य कार्मिक) के अनुमोदन से संशोधित)

8. भुगतान किया जाने वाला मानदेय:-

इयूटी के घंटे	स्पेशलिस्ट	सुपर स्पेशलिस्ट
सप्ताह में 6 दिन के लिए एक दिन में दो घंटे	प्रति माह 52000/- रूपए	प्रति माह 64000/- रूपए
सप्ताह में 4 दिन के लिए एक दिन में 2 घंटे	प्रति माह 32000/- रूपए	प्रति माह 40000/- रूपए
सप्ताह में 2 दिनों के लिए एक दिन में 2 घंटे	प्रति माह 16000/- रूपए	प्रति माह 20000/- रूपए

9. निःशुल्क रेलवे पास:-

9.1 प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में सेलेक्शन ग्रेड के अधिकारियों की पात्रता के अनुसार स्वयं+पति/पत्नी और आश्रित बच्चों के लिए (रेलवे कर्मचारियों के लिए लागू नियमों के अनुसार) राजधानी एक्सप्रेस सहित ए सी टू टियर और शताब्दी एक्सप्रेस के वातानुकूलित कुर्सीयान में संपूर्ण भारतीय रेलवे और कोंकण रेलवे में वैध एक सेट मानार्थ रेलवे पास उपलब्ध कराया जाएगा।

9.2 मानार्थ पास कैलेण्डर वर्ष में नियुक्ति के 3 माह के बाद प्राप्त किया जा सकता है।
(प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 15.12.2005 का पत्र सं. 2001/एच-1/12/40)

10. उपर्युक्त योजना का कार्यान्वयन:-

"ऑनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्टों" की नियुक्ति स्थानीय आवश्यकता के अनुसार स्पेशलिटी में की जाएगी जिसका निर्णय क्षेत्रीय रेलों के सीएमडी द्वारा लिया जाएगा।

(प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 27.06.2006 के पत्र सं. 2005/एच-1/12/34 का पैरा-8)

11. पारिश्रमिक में कटौती की दैनिक दर:-

उन्हें प्रत्येक वर्ष 12 दिनों की छुट्टी लेने की अनुमति है। 12 दिनों के बाद किसी भी अनुपस्थिति के लिए निम्नलिखित दरों पर पारिश्रमिक में कटौती की जाएगी (पैरा-8 के अनुसार आवर्द्धित मानदेय की पिछले दर पर):-

इयूटी के घंटे	स्पेशलिस्ट	सुपर स्पेशलिस्ट
सप्ताह में 6 दिनों के लिए एक दिन में 2 घंटे	प्रति दिन 2167/- रूपए	प्रति दिन 2667/- रूपए
सप्ताह में 4 दिनों के लिए एक दिन में 2 घंटे	प्रति दिन 2000/- रूपए	प्रति दिन 2500/- रूपए
सप्ताह में 2 दिनों के लिए एक दिन में 2 घंटे	प्रति दिन 2000/- रूपए	प्रति दिन 2500/- रूपए

12. अनुबंध की समाप्ति:-

किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर किसी भी समय अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। प्रशासन के पास इस प्रकार अनुबंध समाप्त करने का कारण नहीं बताने का अधिकार सुरक्षित है।

13. मूल्यांकन:-

इस योजना के प्रभाव का विधिवत मूल्यांकन निर्धारित पैरामीटर की निगरानी द्वारा किया जाएगा। निगरानी प्रोफार्मा संलग्न है।

(11 से 13- प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 15.12.2005 का पत्र सं. 2001/एच-1/12/40)

14. योजना का वित्तीय मूल्यांकन:-

योजना का वित्तीय मूल्यांकन करने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनायी जाती हैं। ऑनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्टों द्वारा जिन रेलवे के मरीजों को व्यावसायिक सेवाएं मुहैया कराई गई हैं, उनकी कुल संख्या को नीचे दी गई सेवाओं की दरों से गुणा किया जाना है। व्यावसायिक सेवाओं की दरें निम्नानुसार हैं:

(14 - प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 27.06.2006 का पत्र सं. 2005/एच-1/12/34)

14.1 परामर्श सेवाओं के लिए

ओपीडी और आईपीडी दोनों किस्म के परामर्श के लिए उस शहर या नजदीकी शहर के लिए लागू सीजीएचएस दरों के अनुसार।

14.2 शल्य चिकित्सा सेवा के लिए:-

1. छोटी शल्य चिकित्सा के लिए - प्रति मामला 8,000/- रूपए
2. बड़ी शल्य चिकित्सा के लिए - प्रति मामला 15,000/- रूपए
3. स्पेशल शल्य चिकित्सा के लिए - प्रति मामला 30000/- रूपए
4. तृतीय स्तर की शल्य चिकित्सा के लिए - प्रति मामला 50,000/- रूपए

(14.2 - प्राधिकार - बोर्ड का दिनांक 27.06.2006 का पत्र सं. 2005/एच-1/12/34)

इस योजना को लागू करने से ऑननेरी विजिटिंग स्पेशलिस्ट परामर्श देंगे और शल्य चिकित्सा करेंगे और यथा अपेक्षित अन्य सुझाव देंगे। वे रेलवे अस्पतालों में भी शल्य चिकित्सा करते रहेंगे और ऐसे मामलों जिन्हें रेफर करने की आवश्यकता हो और उस मरीज की स्थिति ऐसी हो कि ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन अवधि के बाद उस रेलवे अस्पताल में संभाला जा सके, तो उस स्पेशलिटी जिसके लिए उस रेलवे अस्पताल में विजिटिंग स्पेशलिस्ट उपलब्ध है, के लिए उसे प्राइवेट/सरकारी अस्पतालों में रेफर नहीं किया जाएगा। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कुछ अधिक जोखिमपूर्ण मरीजों को अभी भी बड़े चिकित्सा केन्द्रों में रेफर करने की आवश्यकता होगी।

15. बाजार से अनेस्थेतिस्टों के बारे में:-

15.1 ऐसे छोटे अस्पतालों, जहां चिकित्सा अधिकारियों के पदों की संख्या 9 अथवा इससे कम हो, के लिए दिनांक 15.12.2005 के आदेश सं. 2001/एच-1/12/40 के पैरा 12.4 में दिए गए यह निर्देश कि अनेस्थेसिया कार्य के लिए बाजार से अनेस्थेतिस्टों को रेलवे बोर्ड के दिनांक 04.08.2004 के पत्र सं. 2004/एच/23/3/ और दिनांक 13.10.2014 के पत्र सं. 2013/एच-1/12/5 में दिए गए निर्देशों में इस आंशिक संशोधन के साथ कि उन्हें इन अस्पतालों में अनेस्थेतिस्ट का पद उपलब्ध न होने के कारण इन अस्पतालों में बुलाया जाएगा और यदि आईआरएमएस संवर्ग के सभी पदों का पूर्णतः उपयोग हो जाता है तो इसका पालन किया जाना है।

15.2 अन्य अस्पतालों के लिए बाजार से अनेस्थेतिस्ट को रेलवे बोर्ड के दिनांक 4.08.04 के पत्र सं. 2004/एच/23/3 और दिनांक 13.10.2014 के पत्र सं. 2013/एच-1/12/5 में दिए गए नियमों के अनुसार बुलाया जाएगा।


(14 से 15 - प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 27.06.2006 का पत्र सं. 2005/एच-1/12/34)

16. इस योजना की आगे और समयावधि बढ़ाना:

इस योजना को प्रति वर्ष बढ़ाने की शक्ति क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों को दी गई है जिसमें यह निर्धारित है कि क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों द्वारा रेलवे योजना को बढ़ाने से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट स्वास्थ्य निदेशालय/रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा और व्यय को उसी शीर्ष के अंतर्गत प्रभारित किया जाएगा जिस शीर्ष के अंतर्गत पैन्ल पर रखे गए अस्पताल के बिलों की प्रतिपूर्ति/व्यय को प्रभारित किया जाता है (अर्थात् जे23आई) और इस शीर्ष में आबंटित बजट में वृद्धि नहीं की जा सकती है।

17. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोक्त (पैरा 13)



(श्रीमती एच. के. संहोत्रा)


संयुक्त निदेशक-II/स्वास्थ्य

सं. 2014/एच-1/12/8/एचवीएस/पॉलिसी

नई दिल्ली, दिनांक 19.06.2018

सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें/सभी उत्पादन इकाइयां.
2. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा पर्यवेक्षक, सभी भारतीय रेलें/सभी उत्पादन इकाइयां.



(श्रीमती एच. के. संहोता)

संयुक्त निदेशक-II/स्वास्थ्य

रेलवे बोर्ड

सं. 2014/एच-1/12/8/एचवीएस/पॉलिसी

नई दिल्ली, दिनांक 19.06.2018

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान लेखा निदेशक, सभी भारतीय रेलें/सभी उत्पादन इकाइयां
2. भारत के उप-नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 24, रेल भवन, नई दिल्ली।



कृते वित्त आयुक्त/रेलें

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक वित्त (स्था.) और वित्त(स्था.) स्पेशल, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली को प्रेषित